UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Philiosophy
Research Link - 166, Vol - XVI (11), January - 2018, Page No. 130-132
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

जैक डोनली के मानवाधिकार की अवधारणा का दार्शनिक विवेचन

प्रस्तुत शोधपत्र में जैक डोनली के मानवाधिकार सम्बंधी विचारों का दार्शनिक विवेचन किया गया है। जैक डोनली ने मानवाधिकार के नैतिक एवं अधिकृतीकरण दोनों अर्थों पर विचार किया गया है। मानवाधिकार का नैतिकता एवं उपयोगिता में क्या सम्बंध है? मानवाधिकार में मानव की गरिमा के प्रश्न को भी डोनली ने केन्द्र में रखा है। डोनली द्वारा प्रस्तुत अध्ययन का विश्लेषण करते हुए उसके पक्षों की विवेचना करना प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य है। शोध पद्धति दार्शनिक विश्लेषण की है तथा अध्ययन प्राथमिक स्रोत पर आधारित है।

डॉ.जितेन्द्र यादव

मानव अधिकार, सामान्यतः वे अधिकार हैं, जो कि मानव होने के नाते मानव के पास हैं। शब्द अधिकार (Right) अपने अन्दर दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समेटे हुए है।[1]

(1) नैतिक औचित्यता (उचित होना) (Some thing being right) (Moral Righteousness)

(2) अधिकृतीकरण (अधिकार रखना) (Some one having a right or Entitlement)

प्रथम रूप में Right नैतिक औचित्यता (Moral righteousness) की ओर निर्देश करता है। जबकि द्वितीय रूप में यह दावे या अधिकृतीकरण (Entitlement) के रूप में Right को व्यक्त करता है। नैतिक औचित्यता में वाहयता का कारण न्याय संगतता, उचितता होती है। 'कोई चीज उचित है' यह कहने का अर्थ है कि यह स्थापित मानकों के साथ संगति रखता है। 'X उचित है' यह X की ईमानदारी का निर्णय है, जो कि स्थापित मानकों के आधार पर लिया गया है। इस प्रकार 'What is right' प्रारम्भिक रूप में Adjective या Adverb के रूप में प्रयुक्त होता है।

(1) मैं एक पुल पर टहल रहा हूँ और एक व्यक्ति डूब रहा है, उसे बचाने के लिए मुझ पर नैतिक दबाव है और यह उचित होगा। लेकिन वह व्यक्ति मुझ पर कोई अधिकार नहीं रखता कि मैं उसे बचाऊँ।

(2) मेरा पड़ोसी यह देखता है कि कोई व्यक्ति खिड़की से मेरे घर के अन्दर झांक रहा है, वह उसके बाध्य है कि वह मुझे या पुलिस को सूचित करे–लेकिन मैं ऐसा कोई अधिकार नहीं रखता।

(3) यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तथा उसे कोई विशेष रक्त समूह की आवश्यकता है, जो कि मेरा भी है, तो मेरी एक गहरी नैतिक बाध्यता तो बनती है, लेकिन वह कोई अधिकार नहीं रखता।

उपरोक्त उदाहरणों में गहरी नैतिक बाध्यता है, लेकिन अधिकृतीकरण (Entitlement) न होने से यह अधिकार नहीं हो सकते हैं। लाभकारिता या कल्याणकारिता कर्तव्य और औचित्यता (Righteousness) की मांग (Appeal) तो अवश्य करती है, लेकिन वह अधिकार का दावा नहीं करती है।[2] अतः यदि इन्हें करने वाला असफल होता है या नहीं करता है, तो वह अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

दूसरे शब्दों में Simple beneficiary theory (लाभकारिता सिद्धांतद्ध, What is right (उचित होना) तथा Having a Right (अधिकृत होना) में भ्रम पैदा करती है तथा Right के वास्तविक स्वरूप को ढंक लेती है।[3] अधिकार (Rights), अधिकार धारक (Right-holder) पर केन्द्रित आपसी क्रियाओं के नियम संचालन के क्षेत्र की रचना करता है। 'Having a Right' (अधिकार रखना) कोई चीज रखने से ज्यादा, किसी एक विशेष जगह पर होना है और निश्चित व्यक्तियों तथा तथ्य जिनसे कि वे सहसम्बन्धित बाध्यताओं से बंधे हैं, उन पर नियन्त्रण करना है। 'अधिकार' किसी एक वस्तु से ज्यादा सामाजिक रीति (Having a right) है। इसके विपरीत अधिकार रखना (Having a right) हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। जब हम कहते हैं कि A के पास B के प्रति X अधिकार है, तो B उस अधिकार की वजह से बाध्य होता है और उसकी बाध्यता प्रारम्भिक रूप से एक व्यक्ति (A के प्रति) के प्रति है। यहाँ पर X को स्वाभाविक प्रकृति द्वितीयक है। उदाहरण स्वरूप समझौता तथा वादों में जो बाध्यता होती है, वह अधिकार को जन्म देती है, लेकिन इनकी कोई नैतिक प्रासंगिकता नहीं होती है।[4]

कुछ ऐसे भी उदाहरण देखे जा सकते हैं, जो कि दोनों ही अर्थो के लिए उचित हैं। उदाहरणतः यदि A, B से 10 रूपये ऋण

सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र विभाग), हे.नं.ब.रा.स्नात.महाविद्यालय, नैनी-इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश)

लेता है, तो A को यह अधिकार है कि वह B से 10 रूपये प्राप्त करें, तथा B के लिए यह उचित है कि वह A को 10 रूपये वापस करे। कुछ उदाहरणों में इन दोनों अर्थों में भेद भी देखा जा सकता है। एक जरूरतमंद और भूखा आदमी मेरे भोजन या धन पर कोई अधिकार नहीं रखता, मेरा उसके प्रति कर्तव्य हो सकता है, पर उसका कोई अधिकार मुझ पर नहीं होगा। केवल उचितता के आधार का स्वामित्व निगमित नहीं होता है। अब यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाए कि अधिकार क्या है, तो हम पाएंगे कि इसका सबसे सरल उत्तर बेंथम ने प्रस्तुत किया है, उनके अनुसार ''अधिकार केवल लाभकारी बाध्यताएँ हैं''[5] (Riths are merely beneficial obligation) A इस दृष्टि से लाभकारिता बाध्यता की आवश्यक और पर्याप्त परिस्थिति होगी। इस लाभकारिता सिद्धांत (Simple beneficial theory) के विरूद्ध हमें यह पूछना चाहिए कि अधिकार काम कैसे करते हैं, बजाए इसके कि Rights क्या है?

यदि हम अधिकार को समझना चाहते हैं तो हमें (Rights holder) अधिकार धारक, कर्तव्य धारक (Duty Bearer) और अधिकार वस्तु (Right objects) के सम्बंधों को समझना होगा उन नियमों को जिसमें ये सम्बन्ध संचालित होते हैं तथा उन तरीकों तथा प्रक्रियाओं को जिनसे यह सम्बन्ध बनते हैं, इन्हें उद्घटित करना होगा। यदि A अधिकार धारक, अपने अधिकार का प्रयोग (exercise) करता है या उसका (Respect) आदर करता है, तो यह कहा जा सकता है कि A अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। इस प्रक्रिया का परिणाम और लक्ष्य है। अपने Object of Rights को enjoy कर सके।[6]

कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं – यदि मैं सूट खरीदने गया तो मेरे पास धन है, उस पर मुझे अधिकार है। जब मैं सूट खरीद लिया, तो सूट पर मेरा अधिकार है। यहाँ पर अधिकार–धारक तथा कर्तव्य धारक के आपसी सम्बन्ध सूट के द्वारा बंधे होते हैं। इस कार्य व्यापार को अधिकार के कार्य व्यापार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो उचित नहीं है। वास्तव में यहाँ पर Object of right को enjoy कर रहा हूँ, न कि अधिकार को। एक अन्य उदाहरण A, B के समझौता करता है कि वह B को मशीन के भाग उपलब्ध कराएगा। ऐसा करने वह सामान्य व्यापारिक कार्य कर रहा होगा बजाए Rights के Exercise, repect और enjoyment के A, लेकिन यदि A, B के Respect में या B के अधिकार के कारण अपनी फैक्ट्री को Overtime पर लगाता है, तो फिर कहा जा सकता है कि B अपने Right को enjoy कर रहा है। A के सक्रिय अनुरूपता (Active Respect) के बगैर B कोई अधिकार प्रयोग नहीं कर सकता है।

इनको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रभेदित कर सकते हैं।[7]

(1) **Assertive exercise :** इसमें पूरी प्रक्रिया के तीनों चरण शामिल होते हैं, ये तीन चरण Exercise, respect और enjoyment हैं।

(2) **Direct enjoyment :** यहाँ पर हम Overtime का उदाहरण ले सकते हैं कि Right का respect तथा enjoyment दोनों होता है, लेकिन exercise नहीं होता है।

(3) **Objective enjoyment :** यहाँ पर सूट का उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ पर केवल object of right का enjoyment होता है, लेकिन right का exercise, Respect तथा enjoyment नहीं होता है।

अधिकार की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए Having enjoying और Enforcing के सम्बन्धों को समझना आवश्यक है। अधिकार के साथ ये तीनों हमेशा साथ नहीं चलते और न ही एक ही प्रकार से संयुक्त होते हैं। अतः enforcement की कमी अनुपस्थिति यह स्थापित नहीं करती है कि अधिकार अनुपस्थित है।

उदाहरण : एक चोर मेरी कार चुरा लेता है, तब भी मैं अपने कार का अधिकारी हूँ, तथा इस रूप में मैं पुलिस या कोर्ट जा सकता हूँ और जब कार वापस मिल जाती है, तो भी यह मेरी ही है। इस प्रकार मेरे पास कार का अधिकार हमेशा है तथा मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता हूँ जैसे कि विधिक उपचार के रूप में किया गया, पर यदि चोर उस कार को पेड़ से टकरा देता है और वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा चोर को जेल भेज दिया जाता है। तो मेरे अधिकार का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन कार के बगैर मैं object of enjoyment से वंचित हो गया। जो कि मेरे अधिकार रखने का केन्द्र बिन्दु था।

इस प्रकार अधिकार का स्वामित्व तथा Respect प्राप्त करना और Enforcement की आवृत्ति ये दोनों बिल्कुल पृथक है। कोई व्यक्ति unenforceable Right रख सकता है, यह अधिकार के स्वामित्व का कोई आधार नहीं रखता है। यहाँ पर हम 'अधिकार का विरोधाभास'' भी देखते हैं। हम Having तथा not having a right एक ही समय पर देख सकते हैं, यही अधिकार का विरोधाभास है।

अधिकार का विरोधाभास (Possession paradox) मानव अधिकार की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।[8] जैसे कि अनेक अमरीकी नागरिक वाक् स्वतंत्रता के लिए मानवाधिकार का दावा करने के बजाए संवैधानिक विधि का प्रयोग करते हैं। इसका कारण यह है कि lower right अपने प्रयोग में ज्यादा सरल तथा तत्पर होते हैं। यही कारण है कि enforceable lower right तथा High right यदि एक ही जगह पर हो, तो वो lower right अपने तत्परता तथा प्रयोग की सरलता के कारण एक क्षण के लिए High right को शून्य (निष्क्रिय) कर देता है।

मानवाधिकार की चारित्रक विशेषता यह भी है कि इसकी कार्य संरचना यह मांग करती है कि मानवाधिकार enforceable हो। ये मानवाधिकार के दावे अधिकार के क्षेत्र में अंतिम उपाय के रूप में है, अधिकार के लिए इससे ऊँची मांग नहीं हो सकती है। जब तक कि दूसरे अधिकार आधारित उपचार (Right-based-remedies) असफल नहीं हो जाते हैं। तब तक सामान्यतः कोई मानवाधिकार से आश्रय नहीं पा सकता या वह मानवाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अंतिम उपाय होने तथा unenforceable होने के कारण ये एक ही समय पर मानवाधिकार Having तथा Not Having दोनों ही होते हैं, जो कि (Possession Paradox) उत्पन्न करता है।

मानव अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, सभी के लिए समान हैं और अनिवार्य होते हैं। मानव अधिकार ईश्वर प्रदत्त नहीं है, न ही

प्रकृति प्रदत्त और न ही जीवन के तथ्यों, आवश्यकताओं से निगमित है। उसके बारे में इन पदों में विचार करने का तात्पर्य यह है कि हम मानव अधिकार को वस्तु के रूप में देख रहे हैं। मानव अधिकार, मानव संभावनाओं के विषय में एक विशेष नैतिक दृष्टिकोण (विजन) का विकल्प और इस दृष्टिकोण को साकार करने हेतु संस्था प्रस्तुत करता है। मानव अधिकार की आवश्यकता 'मानव गरिमा' के लिए है, बजाए स्वास्थ्य के और मानव अधिकारों का उल्लंघन एक मानव की मानवीयता का निषेध है, न कि उसकी आवश्यकताओं का। मानव अधिकार की आवश्यकता सच्चे मानव जीवन के लिए है।[9]

निष्कर्ष :

मानव अधिकार मानव की नैतिक प्रकृति पर आधारित होते हैं, जो मानव को उसकी संभावनाओं को साकार करने की प्रेरणा देती है। मानव अधिकार सार्वभौमिक है, क्योंकि वे नैतिकता से युक्त है। ये अनिवार्य है क्योंकि इनके बिना कोई मानव अपनी गरिमा में नहीं रह सकता है। मानव अधिकार समान है, क्योंकि ये मानव मात्र होने के आधार पर प्राप्त है। मानव अधिकारों की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है, इसलिए मानव अधिकारों की सूची में एक के बाद एक अधिकार जुड़ सकते हैं। इनकी गतिशीलता का कारण यह है कि मानव प्रकृति गतिशील है। इसकी अनंत समस्याएँ एवं अनंत क्षितिज है। मानव अधिकारों को पूर्ति के लिए कुछ अन्य ऐसे आधारों को खोजना आवश्यक है, जिससे इनकी पूर्ति के लिए मानव हमेशा राज्य पर ही निर्भर न रहे और राज्य भी इनको मात्र दावे की प्रतिपूर्ति के रूप में ही न पूरा करें, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें जिसमें मानव अधिकार स्वमेव ही प्राप्त हो।

<u>सन्दर्भ</u> :

(1) *Donnelly, Jack : The concept of Human Rights, P. 3.*
(2) *Ibid, P. 11.*
(3) *Ibid, P. 12.*
(4) *Ibid, P. 5.*
(5) *Ibid, P. 11.*
(6) *Ibid, P. 13.*
(7) *Ibid, P. 13, 14.*
(8) *Ibid, P. 19.*
(9) *Ibid, P. 31.*

❁ ❁

UGC -
APPROVED - JOURNAL

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

Print

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

(1) शोध-पत्र **1500-1700 शब्दों से अधिक नहीं** होना चाहिए।
(2) हिन्दी एवं मराठी माध्यम के शोधपत्रों को कृतिदेव 10 (Kruti Dev 010) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।
(3) पंजाबी माध्यम के शोधपत्रों को अनमोल लिपि (AnmolLipi) या **अमृत बोली** (Amritboli) या **जॉय** (Joy) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।
(4) अंग्रेजी माध्यम के शोधपत्र टाईम्स न्यू रोमन (Times New Roman), एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' या 'माइक्रोसाफ्ट वर्ड' में भेजे जा सकते हैं।
(4) शोधपत्र की विधि - **(1)** शीर्षक **(2)** एबस्ट्रेक्ट **(3)** की-वर्ड्स **(5)** प्रस्तावना/प्रवेश **(5)** उद्देश्य **(6)** शोध परिकल्पना **(7)** शोध प्रविधि एवं क्षेत्र **(8)** सांख्यिकीय तकनीक **(9)** विवेचन या विश्लेषण **(10)** सुझाव **(11)** निष्कर्ष एवं **(12)** संदर्भ ग्रंथ सूची।
(6) संदर्भ ग्रंथ सूची इस प्रकार दें -

<u>For Books</u> :
(1) Name of Writer, "Name of Book", Publication, Place of Publication, Year of Publication, Page Number/numbers.

<u>For Journals</u> :
(2) Name of Writer, "Title of Article", Name of Journal, Volume ....., Issue ....., Page Numbers.

<u>Web references</u> :
http://utc.iath.virginia.edu/interpret/exhibits/hill/hill.html

(7) गुजराती माध्यम के शोधपत्र **हरेकृष्णा (<u>Harekrishna</u>), टेराफोंट वरुण (<u>Terafont Varun</u>), टेराफोंट आकाश (<u>Terafont Aaksah</u>)** में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजे जा सकते हैं।
(8) शोधपत्र की साफ्टकॉपी रिसर्च लिंक के ई-मेल आईडी researchlink@yahoo.co.in पर भेजने के बाद हॉर्डकॉपी, शोधपत्र के मौलिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर 'रिसर्च लिंक' के कार्यालय को प्रेषित करें।

❁❁